फा.स1(56) 2012/एडवाइजरी/एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
(प्रवर्तन प्रभाग)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002

दिनांक 26 मार्च, 2015

विषयः– खाद्य व्यवसाय के लिए लाइसेंस और पंजीयन की जगह स्व–घोषणा प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में।

लाइसेंस और पंजीयन विनियम के संदर्भ में खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यायिकेतर कागज पर शपथपत्र प्रस्तुत करना होता है।

2. शपथपत्र पद्वति को समाप्त करने तथा स्व–प्रमाणन को बढ़ावा देने एवं व्यवसाय की सुगमता की जरूरत को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या जेड 17015/1/2014–सीडीएन I दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 द्वारा जारी आदेश के आलोक में खाद्य प्राधिकरण ने अपने दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के आदेश संख्या जेड–16011/14/2014–ईएवंए (पीटी)द्वारा शपथपत्र के स्थान पर 'स्व घोषणा द्वारा वचनबंध को रखने का निर्णय लिया है।

3. इसका अनुसरण करते हुए यह सूचित किया जा रहा है कि अब तक लाइसेंस और पंजीयन के लिए आवेदनों के साथ दिए जा रहे शपथपत्रों की जगह सादे कागज पर एक वचनबंध देना होगा। निम्नलिखित वचनबधो के संरूप संलग्न हैः–

क्रम सं.	**लाइसेंस और पंजीयन के लिए प्रचलित शपथपत्र**	**वचनबंध के प्रस्तावित संरूप**
1.	परामर्शिका संख्या 1 (56) 2012/परामर्शिका/एफएसएसएआई दिनांक 02.04.2012 के अनुसार खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएसएआई) के लिए शपथपत्र	संलग्नक 1
2.	एफएलआरएस के अर्न्तगत खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) द्वारा जमा किए जाने वाले अपेक्षित कागजातों की सूची में उल्लिखित स्वामित्व सम्बन्धी शपथपत्र	संलग्नक 2

4. इसके अतिरिक्त आवेदन प्रक्रिया को बाधा रहित बनाने के लिए एक नवीन वचनबंध लागू किया जा रहा है। प्रस्तावित वचनबंध का संरूप संलग्न है।

क्रम सं.	नवीन वचनबंध	वचनबंध संरूप
1.	चावल, दाल, फल तथा सब्जी आदि कृषि सामग्रियों सहित खाद्य उत्पादों की और विभिन्न उत्पादकों, लाइसेंस धारी खाद्य सामग्री विक्रेताओं तथा स्थानीय मंडियों से कच्चे माल की प्राप्ति कर खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा की गई पुनः पैकिंग से सम्बन्धित वचनबंध	संलग्नक 3

5. तदनुसार, लाइसेंस और पंजीयन के लिए आवेदन करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों से अनुरोध है कि वे तत्काल प्रभाव से नोटरीकृत शपथपत्र के स्थान पर स्व–घोषणा के रूप में वचनबंध संलग्न करें। लाइसेंस प्रभाग 31 मार्च, 2015 के बाद किसी नोटरीकृत शपथपत्र को स्वीकार नहीं करेगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

(विमल कुमार दूबे)
निदेशक (प्रवर्तन)

सेवा में,

1. सभी केन्द्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को अनुपालन के लिए
2. राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के सभी खाद्य संरक्षा आयुक्तों के सूचनार्थ।

संलग्नक 1

(एडवाइजरी संख्या 1(56) 2012 / एडवाइजरी / एफएसएसएआई दिनांक 02.04.2012 द्वारा अपेक्षित शपथपत्र का प्रतिस्थापना)

खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) के सम्बन्ध में घोषणा

(खाद्य व्यवसाय संचालक / फर्म / कम्पनी के पत्र शीर्ष पर इसे दिया जाए)

मैं / हमलोग.................................जो....................................राज्य / संध राज्य क्षेत्र में स्थित मैसर्स.......................
.........के स्वामी / साझेदार / निदेशक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में हूं / हैं ; एतत्द्वारा यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि;

1. मैं / हमलोग खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएस अधिनियम) 2006 के अन्तर्गत नई लाइसेंस / मौजूदा लाइसेंस के संपरिवर्तन / मौजूदा लाइसेंस के आशोधन / मौजूदा लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदक हूँ / है।
2. मेरी / हमारी फर्म के व्यवसाय की प्रकृति निम्नलिखित में से है (जो प्रयोज्य हो उसका उल्लेख करें)
   - (क) ....(उत्पाद का नाम) का विनिर्माता / पुन पैकिंगकर्त्ता हूं (जैसा कि ऑनलाइन प्रपत्र 'बी' के उत्पाद विवरणों में उल्लिखित है)
   - (ख) खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और इसके नियम और विनियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खाद्य उत्पादों का आयातक हूं।
   - (ग) .... का (ऑनलाइन प्रपत्र बी.........................के उत्पाद विवरणों में यथावर्णित प्रमुख श्रेणी का नाम दें) का भंडारण / खुदरा विक्रेता / होटल / जलपान गृह का संचालक हूं।
3. मेरी / हमारी यह सुनिश्चित करने के लिए एक खाद्य संरक्षा योजना है कि उक्त वर्णित खाद्य सामग्रियां खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और तद्धीन नियम और विनियमों की अपेक्षाओं को पूरा करती है।
4. मैं / हमलोग यह वचन देता हूं / देते हैं कि मैं / हमलोग खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) की व्यवस्था करूंगा / करेंगे और जैसे ही खाद्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायित एजेंसी अधिसूचित हो जाएगी; मैं / हमलोग किसी प्रत्यायित एजेंसी से प्रमाणित करा लूंगा / लेंगे।
5. खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस और पंजीयन) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में यथावर्णित सामान्य स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मानकों के अनुरूप हमारी सुविधांए विद्यमान रहेंगी।

	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर मुहर तथा सील सहित
	नाम..
स्थान..	पता..
दिनांक..	संपर्क..

संलग्नक 2

(लाइसेंस के लिए नया आवेदन करते समय संलग्न किए जाने वाले कागजातों की सूची की कम संख्या 10 पर सूचीबद्ध शपथपत्र का प्रतिस्थापन)

स्वामित्व के लिए स्व–घोषणा

(खाद्य व्यवसाय संचालक / फर्म / कम्पनी के पत्रशीर्ष पर दिया जाए)

मैं...जो...के पुत्र / पुत्री / पत्नी हूँ एवं...................

.........का निवासी हूँ, एततद्वारा निम्नलिखित की घोषणा एवं अभिपुष्टि करता हूं कि;

1. "..." नाम और तरीके से ....से (परिसर का पता) चलने वाले व्यवसाय का मैं एकमात्र मालिक / स्वामी हूं ;

2. इस व्यवसाय का संचालन किसी भागीदारी फर्म अथवा सीमित देयता वाली कम्पनी द्वारा नहीं होता है।

3. इसकी भी घोषणा की जाती है कि नीचे उल्लिखित व्यक्ति ही कथित स्वामित्व वाली कम्पनी का कानूनी नामिती होगाः–

   नामः...

   स्वामी के साथ सम्बन्धः...

4. इस घोषणा में उल्लिखित तथ्य मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

	स्वामी का हस्ताक्षर मुहर /सील के साथ
	नाम..
स्थान..	पता...
दिनांक..	संपर्क...

संलग्नक 3

(विभिन्न विनिर्माताओं, लाइसेंसधारी खाद्य सामग्री विक्रेताओं तथा स्थानीय मंडियों से कच्चे माल प्राप्त कर पुनर्पैकेजिंग करने वालों के लिए प्रस्तावित नया वचनबंध संरूप)

खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा घोषणा एवं वचनबंध
(पुनर्पैकिंग/पुनर्पैकेजिंग करने वालों के लिए)

मैं/हमलोग.., जो..(स्थान)..........................राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में स्थित मैसर्स.. के स्वामी/साझेदार/ निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता हूं /हैं, एतत्द्वारा घोषणा करते और बचनबद्ध होते हैं कि;

1. मैं/हमलोग खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएस अधिनियम) 2006 के अन्तर्गत नए लाइसेंस /विद्यमान लाइसेंस में सुधार के लिए आवेदक हूं/हैं।
2. मेरे /हमारी फर्म/ कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति ....(उत्पाद का नाम) की पुनपैकेजिंग की है जैसा कि ऑनलाइन फार्म 'बी'..की उत्पाद विवरण में उल्लेख किया गया है।
3. खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सिर्फ वैध लाइसेंस/पंजीयनधारी विक्रेताओं से ही उक्त खाद्य सामाग्रियां खरीदी/प्राप्त की जाएंगी और पूर्वोक्त के अनुसार अपनी पुनः पैंकेजिंग इकाई में होगी।
4. उपर्युक्त वर्णित खाद्य सामग्रियॉ विशिष्ट भंडारण/परिवहनीय स्थितियों का पालन करते हुए समुचित ढ़ग से थोक पैकेजिंग करके स्वास्थकर स्थिति में अपनी इकाई में लाई/ ढुलवाई जाएगी।

मैं/ हमलोग खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसाय की लाइसेंसिंग व पंजीयन) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में यथावर्णित सामान्य स्वास्थ्यकर एवं स्वच्छता सम्बन्धी अपेक्षाओं का सदैव पालन करूंगा/करेंगे और इनके किसी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होऊंगा/होंगे।

	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर, मोहर और सील के साथ
	नाम..
स्थान..	पता...
दिनांक...	संपर्क..